न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 76/2018

1 शिवकुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र फूसाराम।
2 देवेन्द्र उम्र 45 वर्ष पुत्र हरदयाल सिंह समस्त जाति जाट निवासी बीबीपुरा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुल्तान सिंह पुत्र गणपत राम।
2 हरफूल पुत्र फूसाराम।
3 राजेन्द्र पुत्र फूसाराम।
4 जिनकू देवी पत्नी फूसाराम।
5 माना देवी पत्नी हरदयाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बीबीपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6 केनरा बैंक शाखा फतेहपुर जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।
7 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा फतेहपुर जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।
8 पटवारी हल्का ग्राम बीबीपुर पटवार हल्का बीबीपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
9 तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.06.2018 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 721/2016 बउनवानी सुल्तान सिंह बनाम शिवकुमार आदि अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 20.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 721/2016 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 180 रकबा 4.42 हैक्टेयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 खसरा नम्बर 175 रकबा 3.26 हैक्टेयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 175 के दक्षिण दिशा में लगता ही खसरा संख्या 180 है। प्रार्थी हमेशा से ही ग्राम बीबीपुर छोटा से अपने खेत खसरा संख्या 180 में खसरा संख्या 167,182,181,175 मे से जाने वाले कटानी रास्ता जो आगे ग्राम मरडाटू बड़ी जाता है मे से आता जाता रहा है। खसरा संख्या 175 की पूर्वी दिशा में जहां रास्ता है उससे होकर उसके सहारे—सहारे पूर्वी दिशा से होकर अपने खेत में हमेशा से ही आता जाता रहा है तथा अपनी कृषि उपज आदि लाता ले जाता रहता है किन्तु इस वर्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थी को अपने खेत में से खसरा नम्बर 180 में आने जाने नही दे रहे है इस कारण से प्रार्थी रास्ते के अभाव में अपना खेत की लाट बाट नही कर पा रहा है। पटवारी हल्का से रास्ता बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक है। प्रार्थी के खेत में प्रवेश का अन्य कोई रास्ता नहीं है अतः प्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान पर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 175 में से दिलाया जाना न्यायोचित एवं तर्क संगत है जिसके लिये प्रार्थी क्षतिपूर्ति करने का तत्पर है। प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलवाया जाकर उसे रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी की खसरा संख्या 180 में खेती बर्बाद होने की संभावना बनी हुई है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को कई बार खसरा संख्या 175 में से 12 फुट रास्ता देने के लिये कहा तो वे दिनांक 10.09.2016 को अंतिम रूप से इंकार हो गये इसलिये आवेदन लाना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 175 रकबा 3.26 हैक्टेयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की पूर्वी दिशा के सहारे–सहारे से संलग्न नक्शे में लाल रेखा से दर्शित 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 180 में आने जाने का दिलाया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावें। तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर चुनौतिग्रस्त आदेश पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 01 आवेदक का आवेदन स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि चुनोतिग्रस्त आदेश के निस्तारण से पूर्व पत्रावली राजीनामा हेतु दिनांक 12.06.2018 को प्रस्तुत की गई। पक्षकारो के उपस्थित ना होने की सूरत में पुनः कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत हेतु रखी गई। पत्रावली बहस हेतु नियत भी नही थी पक्षकारो के अधिवक्ता की कोई बहस सुने बिना ही निर्णय कर दिया गया जो विधिक प्रकिया अपनाये बिना किये होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या 1 आवेदक ने अपने आवेदन विवादित रास्ता को विद्यमान बताते हुए अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्व करना बताते हुये आवेदन पेश किया था जो किसी भी तरीके से धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है। कानूनन धारा 251ए में किसी खातेदार को अपनी कृषि भूमि की जोत के लिए नवीन रास्ता कायम करवाये जाने का अधिकार होता है या फिर विद्यमान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रास्ता को विस्तारित किये जाने के लिए आवेदन किये जाने का अधिकार है। आवेदक/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने मात्र विद्यमान रास्ता को अवरूद्व किये जाने पर उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 251 के आर.टी.एक्ट पेश किया है जो कानूनन में मेन्टेनेबल ही नही था। रास्ता अवरूद्व किये जाने पर धारा 251 के तहत तहसीलदार को आवेदन किये जाने का अधिकार था। बिना विद्यमान रास्ता को चौड़ा/विस्तारित किये जाने की मांग किये चुनोतिग्रस्त आदेश निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदक ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है। आवेदन में प्रार्थी ने 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है। प्रार्थी का यह आवेदन धारा 251ए की परिधि में आता है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1,4,6 की जरिये अधिवक्ता उपस्थिति हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 29.06.2018 को बहस वकुलाय फरिकेन सुना जाना अंकित है। इस अंकन से यही अवधारित होता है कि पक्षकार जरिये वकील उपस्थित रहे है एवं इनकी बहस सुनी गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2,3 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इनके द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही मनसुख करवाने की कोई कार्यवाही नही की गई है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में आवेदक ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है। आवेदन में प्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है। प्रार्थी का यह आवेदन धारा 251ए की परिधि में आता है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1,4,6 की जरिये अधिवक्ता उपस्थिति हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 29.06.2018 को बहस वकुलाय फरिकेन सुना जाना अंकित है। इस अंकन से यही अवधारित होता है कि पक्षकार जरिये वकील उपस्थित रहे है एवं इनकी बहस सुनी गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2,3 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इनके द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही मनसुख करवाने की कोई कार्यवाही नही की गई है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर